संख्या-59/2015/924/26-3-2015-10(6)/2015

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांकः 03 जून 2015

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान सं0-83 के अंतर्गत राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, वजीरपुर, जेहलपुर एवं मण्डलीय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय पैढ़त फिरोजाबाद के भवन के मरम्मत/सुदृढ़ीकरण कार्यो हेतु धनराशि स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय समाज कल्याण के पत्र संख्या-2317/स0क0/विकास/ए.टी.एस.-71/2014-15, दिनांक 24.03.2015, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, वजीरपुर, जेहलपुर एवं मण्डलीय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय पैढ़त फिरोजाबाद के भवन के मरम्मत/सुदृढ़ीकरण कार्यों हेतु स्वीकृत कुल रू0-59.00 (रू0-उनसठ लाख मात्र) की धनराशि श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत कार्य हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित आहरण वितरण अधिकारी को किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि निर्माण इकाई के साथ एम0ओ0यू0 (अनुबंध) कराने के उपरान्त ही निर्माण इकाई ग्रामीण अभियंत्रण विभाग प्रखण्ड, फिरोजाबाद को वास्तविक आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है, इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व निदेशक, समाज कल्याण का होगा। स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार एवं शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) उक्त प्रायोजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों का निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूर्ण करा लिया जाये। उक्त धनराशि का आहरण वास्तविक उपयोगितानुसार किया जायेगा। निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति का विवरण यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर खाता में नहीं रखी जायेगी।

(4) उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत हैं और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(5) उक्त प्रायोजना की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये। उक्त कार्य की गुणवत्ता एवं मात्राओं के संबंध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी/जिलाधिकारी उत्तरदायी होगें।

(6) निदेशक समाज कल्याण, जिलाधिकारी फिरोजाबाद द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन के आधार पर कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फिरोजाबाद से कार्य कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(7) उपर्युक्त स्वीकृतियों से सम्बन्धित धनराशियां व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च 2015 में निहित निर्देशो/प्रतिबन्धों का अनुपलन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक- "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-09-राजकीय छात्रावासों राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का अनुरक्षण-29-अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च 2015 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनु सचिव

संख्या-59/2015/924(1)/26-3-2015 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- जिलाधिकारी, फिरोजाबाद।
4- बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ/समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट,कैसरबाग,लखनऊ/फिरोजाबाद।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3
7- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड, जनपद फिरोजाबाद।
8- निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
9- जिला समाज कल्याण अधिकारी, फिरोजाबाद ।
10- गार्डफाइल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।